न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 83 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. जोगाराम पुत्र श्री तुलसाराम जाति चौधरी निवासी चारलाई खुर्द तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. हरीराम पुत्र कुम्भाराम 2. घेवरराम पुत्र श्री तुलसाराम 3. दीपाराम पुत्र श्री तुलसाराम 4. झमकुदेवी पत्नी सालगराम 5. वलूराम पुत्र चतराराम 6. तिलोकाराम पुत्र चतराराम 7. वस्ताराम पुत्र कुम्भाराम जाति चौधरी निवासी चारलाई खुर्द तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 14 / 2014 बअनवान हरीराम बनाम जोगाराम वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल सांखला अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—30.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के पूर्वज की खातेदारी भूमि थी जिसमें कुम्भा, अमराराम, तुलसा कौम पीटल की खातेदारी भूमि थी जो खसरा नंबर 87 रकबा 03 वीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी थी जिसमे कुम्भा के परिवार व अमरा के परिवार व तुलसा के परिव़ार वालों का रहवास था जो वक्त सेटलमेंट से संवत 2009 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा बंदोबस्त में उपरोक्त तीनों के नाम दर्ज थे व मौके पर रहवास था जिसमें अपीलांट हरीराम का विद्युत कनेक्शन वर्ष 1990 से पहले का लिया हुआ है जिसके विद्युत बिल की फोटो प्रति साथ पेश है व मौके पर अपीलांट के पक्के रहवासीय मकान व पानी के टांके बने हुए है जिसका फोटो साथ पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के पूर्वज की खातेदारी भूमि थी जिसमें कुम्भा, अमराराम, तुलसा कौम पीटल की खातेदारी भूमि थी जो खसरा नंबर 87 रकबा 03 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी थी जिसमे कुम्भा के परिवार व अमरा के परिवार व तुलसा के परिवार वालों का रहवास था जो वक्त सेटलमेंट से संवत 2009 की खसरा बंदोबस्त में उपरोक्त तीनों के नाम दर्ज थे व मौके पर रहवास था जिसमें अपीलांट हरीराम का विद्युत कनेक्शन वर्ष 1990 से पहले का लिया हुआ है जिसके विद्युत बिल की फोटो प्रति साथ पेश है व मौके पर अपीलांट के पक्के रहवासीय मकान व पानी के टांके बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने विना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आराजी का अपीलांट खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी रेस्पोडेंटस के खातेदारी की भूमि है। अपीलाधीन आराजी रेस्पोडेंटस के खातेदारी की भूमि जिसमें निर्माण करने का अधिकार है। रेस्पोडेंटस के कब्जा काश्त एवं निर्माण कार्य में दखल करने का अपीलांट को अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मनों पर पर्याप्त तामील प्रतिवेदित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन आराजी में रेस्पोंडेंटस के कब्जा काश्त में अपीलांट द्वारा हस्तेक्षप किया जाता है तो रेस्पोंडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2014 बअनवान हरीराम बनाम जोगाराम वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिभा नियतिनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर